संख्या- 04 /2025 / 3860 /चार-2024-1837560

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2025

विषय:- 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजनान्तर्गत सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभागों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के लोक कलाकार दल को सिक्किम प्रायोजित किये जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3676/सं0नि0-15(35)/2023-24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजनान्तर्गत संस्कृति विभाग, सिक्किम को कलाकारों को प्रायोजित किये जाने में हुए अतिरिक्त व्यय रू0 14,364.00 की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 298 /2024/2266/चार-2024-1837560 दिनांक 08 अगस्त, 2024 द्वारा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजनान्तर्गत सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभागों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के लोक कलाकार दल को सिक्किम प्रायोजित किये जाने हेतु रू0 2.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' योजनान्तर्गत सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य के संस्कृति विभागों के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के लोक कलाकार दल को सिक्किम प्रायोजित किये जाने पर हुए अतिरिक्त व्यय रू0 14,364.00 (रूपये चौदह हजार तीन सौ चौसठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि शासनादेश संख्या-298 /2024/2266/चार-2024-1837560 दिनांक 08 अगस्त, 2024 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-24-एक भारत श्रेष्ठ भारत -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या - 04 /2025 / 3860(1) /चार-2024-1837560 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।